अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी।

स्वत्व वाद 67 / 1995

24-11-2022 प्रस्तुत अधिकार वाद आज उपस्थापित किया गया। वादी की ओर से बजरिये अधिवक्ता हाजिरी दी गई एवं प्रतिवादी सं0–2, 3, 6, 8 एवं 10 से 13 के तरफ से हाजिरी दी गई। प्रतिवादी सं0–5, 7 एवं 9 के तरफ से कोई हाजिरी नहीं दी गई। पुकार किया गया, पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं0–10 से 13 एवं 8 के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और अन्य प्रतिवादीगण पुकार पर अनुपस्थित रहे एवं प्रतिवादी सं0–10 से 13 अपने पूर्व के आवेदन दिनांक–13.09.2022 को संचालित करते हुए आंशिक सुनवाई करते हुए प्लेंट के पारा–2 से लगातार 6–7 तक पढ़कर उसको वर्णित करते रहे जिसपर न्यायालय द्वारा कहा गया कि आप अपने आवेदन के संदर्भ में ही सुनवाई करें ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग हो सके, तो उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाते हुए यह अभिकथन करते हैं कि आपके द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता को महत्व देते हुए उनके अनुसार आदेश पारित किया जाता है। इसपर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से अनुमति लेते हुए निवेदन करते हैं कि सभी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय को सहयोग करना चाहिए ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देशानुसार आवेदनों को निष्पादित किया जा सके। सुना। प्रतिवादी सं0–10 से 13 के विद्वान अधिवक्ता देवनांद तिवारी को यह निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, वह शोभनीय नहीं है, न्यायालय यह उम्मीद करती है कि आगे से आपके द्वारा इस तरह का न्यायालय के प्रति आचरण एवं व्यवहार नहीं रखेंगे, अन्यथा इसकी सूचना व आपके विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपसे संबंधित सक्षम प्राधिकारी एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को संसूचित की जाएगी। साथ–ही यह भी ज्ञात हो कि उक्त तथ्यों की पुष्टि न्यायालय कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे से की जा सकती है और प्रतिवादी सं0–10 से 13 का आंशिक सुनवाई हुआ उनके निवेदन पर अगली तिथि निर्धारित की जाती है। वास्ते दिनांक–25.11.2022 सुनवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी